प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय-I में लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा के प्रति विभागों की प्रतिक्रियाएं व्याप्त हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल मुख्य-मुख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी इस अध्याय में दर्शायी गयी हैं।

3. अध्याय-II निजी क्षेत्र सहभागिता द्वारा जल विद्युत विकास की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से सम्बन्धित है।

4. अध्याय-III में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर विषयक लेखापरीक्षा निहित है। अध्याय-IV में लेन-देनों की लेखापरीक्षा परिच्छेद शामिल हैं।

5. अध्याय-V में तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा व्याप्त है।

6. प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश सरकार की 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे जो कि 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त प्रतिवेदन शीर्षक के अंतर्गत पृथक रूप से प्रस्तुत है, की जांच से उत्पन्न मुद्दों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निहित हैं।

7. इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से है जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए थे तथा उनमें से है जो पूर्व के वर्षों में सामने आए थे परन्तु पूर्व के प्रतिवेदनों में व्यवहार में नहीं लाए जा सके; 2011-12 के पश्चात् की अवधि से सम्बन्धित मामले भी जहां आवश्यक हुआ, शामिल किए गए हैं।

8. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी (मार्च 2002) लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।